31

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 2008/माघ 2, 1929
No. 33] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 2008/MAGHA 2, 1929

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2008

सा.का.नि. 43(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पासपोर्ट नियमावली, 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2007 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. पासपोर्ट नियमावली, 1980 की अनुसूची-I में, क्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	पासपोर्ट प्राधिकारी	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
4. (क)	पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल)	मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिले
(ख)	उप पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल)	-वही-
(ग)	सहायक पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल)	-वही-
(घ)	अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल)	-वही-
(ङ)	पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, रायपुर)	छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले
(च)	सहायक पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, रायपुर)	छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले
(छ)	अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय, रायपुर)	-वही-

[फा. सं. V/IV/551/27/2007]

आर. स्वामीनाथन, संयुक्त सचिव (सीपीवी)

टिप्पणी :—11 दिसम्बर, 1980 के सा.का.नि. 691(अ) के तहत मुख्य नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा इसके तहत बाद में संशोधन हुए :—

(i) सा.का.नि. 50(अ), दिनांक 7-2-1981
(ii) सा.का.नि. 494(अ), दिनांक 10-6-1981
(iii) सा.का.नि. 469(अ), दिनांक 24-6-1982
(iv) सा.का.नि. 325(अ), दिनांक 12-4-1983
(v) सा.का.नि. 482(अ), दिनांक 13-6-1983
(vi) सा.का.नि. 494(अ), दिनांक 16-6-1983
(vii) सा.का.नि. 345(अ), दिनांक 29-3-1985
(viii) सा.का.नि. 860(अ), दिनांक 8-11-1985
(ix) सा.का.नि. 857(अ), दिनांक 13-10-1987
(x) सा.का.नि. 84(अ), दिनांक 11-2-1988
(xi) सा.का.नि. 1155(अ), दिनांक 21-11-1988
(xii) सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 27-7-1990
(xiii) सा.का.नि. 653(अ), दिनांक 20-7-1990
(xiv) सा.का.नि. 100(अ), दिनांक 4-3-1991
(xv) सा.का.नि. 275(अ), दिनांक 20-3-1991
(xvi) सा.का.नि. 586(अ), दिनांक 21-6-1991

(xvii) सा.का.नि. 111(अ), दिनांक 22-1-1992

(xviii) सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 15-6-1992

(xix) सा.का.नि. 721(अ), दिनांक 7-8-1992

(xx) सा.का.नि. 477(अ), दिनांक 16-6-1993

(xxi) सा.का.नि. 485(अ), दिनांक 1-7-1993

(xxii) सा.का.नि. 503(अ), दिनांक 10-7-1993

(xxiii) सा.का.नि. 833(अ), दिनांक 2-12-1994

(xxiv) सा.का.नि. 592(अ), दिनांक 7-8-1995

(xxv) सा.का.नि. 491(अ), दिनांक 28-8-1997

(xxvi) सा.का.नि. 605(अ), दिनांक 5-10-1998

(xxvii) सा.का.नि. 516(अ), दिनांक 8-7-1999

(xxviii) सा.का.नि. 827(अ), दिनांक 29-12-1999

(xxix) सा.का.नि. 34(अ), दिनांक 12-1-2000

(xxx) सा.का.नि. 473(अ), दिनांक 22-5-2000

(xxxi) सा.का.नि. 485(अ), दिनांक 23-5-2000

(xxxii) सा.का.नि. 529(अ), दिनांक 8-6-2000

(xxxiii) सा.का.नि. 584(अ), दिनांक 4-7-2000

(xxxiv) सा.का.नि. 632(अ), दिनांक 25-7-2000

(xxxv) सा.का.नि. 482(अ), दिनांक 26-6-2001

(xxxvi) सा.का.नि. 527(अ), दिनांक 9-7-2001

(xxxvii) सा.का.नि. 576(अ), दिनांक 27-7-2001

(xxxviii) सा.का.नि. 817(अ), दिनांक 29-10-2001

(xxxix) सा.का.नि. 879(अ), दिनांक 4-12-2001

(xl) सा.का.नि. 417(अ), दिनांक 29-5-2002

(xli) सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 27-10-2006

(xlii) सा.का.नि. 526(अ), दिनांक 2-8-2007

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2008

G.S.R. 43(E).—In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980, namely :—

1. (1) These rules may be called the Passport (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Passport Rules, 1980, for Serial No. 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

S.No.	Passport Authorities	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
4. (a)	Passport Officer (Passport Office, Bhopal)	All Districts of the State of Madhya Pradesh
(b)	Deputy Passport Officer (Passport Office, Bhopal)	-do-
(c)	Assistant Passport Officer (Passport Office, Bhopal)	-do-
(d)	Superintendent (Passport Office, Bhopal)	-do-
(e)	Passport Officer (Passport Office, Raipur)	All Districts of the State of Chhattis-garh
(f)	Assistant Passport Officer (Passport Office, Raipur)	-do-
(g)	Superintendent (Passport Office, Raipur)	-do-

[F. No. V/IV/551/27/2007]

R. SWAMINATHAN, Jt. Secy. (CPV)

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 691(E), dated the 11th December, 1980 and subsequently amended vide :—

(i) G. S. R. 50(E), dated 7-2-1981

(ii) G. S. R. 494 (E), dated 10-6-1981

(iii) G. S. R. 469(E), dated 24-6-1982

(iv) G. S. R. 325(E), dated 12-4-1983

(v) G. S. R. 482(E), dated 13-6-1983

(vi) G. S. R. 494(E), dated 16-6-1983

(vii) G. S. R. 345(E), dated 29-3-1985

(viii) G. S. R. 860(E), dated 8-11-1985

(ix) G. S. R. 857(E), dated 13-10-1987

(x) G. S. R. 84 (E), dated 11-2-1988

(xi) G. S. R. 1155(E), dated 21-11-1988

(xii) G. S. R. 622(E), dated 27-7-1990

(xiii) G. S. R. 653(E), dated 20-7-1990

(xiv) G. S. R. 100(E), dated 4-3-1991

(xv) G. S. R. 275(E), dated 20-3-1991

IndiaCode

(xvi) G. S. R. 586(E), dated 21-6-1991

(xvii) G. S. R. 111 (E), dated 22-1-1992

(xviii) G. S. R. 684(E), dated 15-6-1992

(xix) G. S. R. 721(E), dated 7-8-1992

(xx) G. S. R. 477(E), dated 16-6-1993

(xxi) G. S. R. 485(E), dated 1-7-1993

(xxii) G. S. R. 503(E), dated 10-7-1993

(xxiii) G. S. R. 833(E), dated 2-12-1994

(xxiv) G. S. R. 592(E), dated 7-8-1995

(xxv) G. S. R. 491 (E), dated 28-8-1997

(xxvi) G. S. R. 605(E), dated 5-10-1998

(xxvii) G. S. R. 516(E), dated 8-7-1999

(xxviii) G. S. R. 827(E), dated 29-12-1999

(xxix) G. S. R. 34(E), dated 12-1-2000

(xxx) G. S. R. 473(E), dated 22-5-2000

(xxxi) G. S. R. 485(E), dated 23-5-2000

(xxxii) G. S. R. 529(E), dated 8-6-2000

(xxxiii) G. S. R. 584(E), dated 4-7-2000

(xxxiv) G. S. R. 632(E), dated 25-7-2000

(xxxv) G. S. R. 482(E), dated 26-6-2001

(xxxvi) G. S. R. 527(E), dated 9-7-2001

(xxxvii) G. S. R. 576(E), dated 27-7-2001

(xxxviii) G. S. R- 817(E), dated 29-10-2001

(xxxix) G. S. R. 879(E), dated 4-12-2001

(xl) G. S. R. 417(E), dated 29-5-2002

(xli) G. S. R. 674(E), dated 27-10-2006

(xlii) G. S. R. 526(E), dated 2-8-2007

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.